(5) IRG

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री आर.के.मिश्रा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1630-दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-05-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 273/निगरानी/2008-09.

अभयराज साकेत तनय कालू दास साकेत
निवास- ग्राम कुइया कला तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. म0प्र0 शासन राज्य
2. रामखेलावन तनय गजाधर प्रसाद पटेल
3. रामबहोर तनय हीरा पटेल
4. कुम्भ करण तनय रामभरोसा पटेल
5. वसुधा तनय भागीरथी पटेल
6. राजेन्द्र तनय गंगा प्रसाद पटेल
7. शिवबिहारी तनय चित्रसेन पटेल
8. जमुना तनय चन्द्रभान पटेल
9. निवासी ग्राम कुईया कला तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री बी.एल. सूर्यवंशी अधिवक्ता, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 26-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुयां कला की शासकीय आ0क्र0 18 रकवा 0.91 ए0 आम निस्तार की भूमि है तथा शासकीय अभिलेखों में आम निस्तार गोठा के रूप में दर्ज रही। अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील रायपुर सर्किल डेल्ही जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 01/अ-19/02-03 में पारित आदेश दिनांक 23-05-03 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष आवेदन पेश किया। अपर कलेक्टर ने दिनांक 12-10-07 को आदेश पारित कर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर कर्चु0 जिला रीवा का आदेश दिनांक 23-5-2005 निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर रीवा के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 273/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 26-05-2015 से निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार रायपुर कर्चु0 जिला रीवा ने बिना शासकीय भूमि का बंटन बिना नौइयत परिवर्तत किये आवेदक के नाम कर दिया गया जबकि बिना नौइयत परिवर्तन के शासकीय भूमि का बंटन किये जाने का प्रावधान नहीं है। आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में भी नहीं आता है। इसी कारण अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदकगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने परीक्षण उपरांत तहसीलदार के बटंन आदेश को निरस्त किया। अपर कलेक्टर के विधिसम्मत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेशों में जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 26-5-2015 एवं अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 12-10-2007 स्थिर रखे जाते हैं।

11/01/19

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर